केन्द्रीय विद्यालय नं0 1 अर्मापुर, कानपुर

KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 ARMAPUR, KANPUR

Tel : 0512: 2513060,Fax: 0512: 2513060
E-mail: armapur1@gmail.com: Website: www.kv1armapur.org

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

No. F. 26089/KV1Armapur /2017-18 Dated: 20/12/2017

नीति आयोग में पंजीकृत तथा अन्य पंजीकृत फर्मो / आपूर्तिकर्ताओ से निविदा आमंत्रण

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक -१ अर्मापुर , कानपुर में ATL(ATAL TINKERING LABORATORY) की स्थापना होनी है | नीति आयोग में उक्त कार्य हेतु पंजीकृत तथा अन्य पंजीकृत फर्मो/आपूर्तिकर्ताओ से 15.1.2018 तक पंजीकृत/ त्वरित डाक से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है | निविदा प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट (www.kv1armapur.org) से डाउनलोड करें | इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी , नियम व शर्तों आदि हेतु वेबसाइट (www.niti.gov.in) का अवलोकन करें | प्राप्त निविदाओं को विद्यालय कार्यकारिणी समिति (VEC) के सदस्यों तथा उपस्थित निविदा – दाताओं के समक्ष प्राचार्य कक्ष में दिनांक -16.1.2018 को प्रात: 11 बजे खोला जायेगा |

दिनांक -20.12.2017

(ए. एच. अंसारी)
प्राचार्य

प्राचार्य /Principal
केन्द्रीय विद्यालय क०-१
Kendriya Vidyalaya No.-1
अर्मापुर, कानपुर
Armapur, Kanpur

विषय : ATL (Atal Tinkering Laboratory)की स्थापना (आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित) करने हेतु कोटेशन का आमंत्रण (सीमित निविदा आमंत्रण)

1. केन्द्रीय विद्यालय क्र.1 , अर्मापुर कानपुर , भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय , केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित है |
2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन , एक रजिस्टर्ड सोसायटी है , जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत केन्द्रीय वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है |
3. **केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1, अर्मापुर कानपुर** प्रतिष्ठित / पंजीकृत / सेवा प्रदाता फर्मों से विद्यालय में ATL(Atal Tinkering Laboratory) की स्थापना (आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित) करने हेतु मुहरबंद कोटेशन / निविदा आमंत्रित करता है |
4. निविदा दाता फर्मों / आपूर्तिकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि विद्यालय में ATL स्थापना हेतु चयनित कक्ष / स्थल का भौतिक सर्वेक्षण स्वयं कर लें |

(क) विद्यालय में ATL स्थापना स्थल का क्षेत्रफल = 1000 वर्ग फीट (लगभग)

(ख) विद्यालय का पता = **केन्द्रीय विद्यालय क्र. 1 , अर्मापुर , कालपी रोड कानपुर- 208009**

(ग) विद्यालय एक पाली का है , जिसका कुल सामान्य कार्य समय प्रात: 7:50 से दोपहर 2:10 तक सोमवार से शनिवार तक 6 दिनों के लिए है |

5. उद्धरित (Quoted Price) कीमत -

(क) उद्धरित (Quoted Price) कीमत में GST सहित अन्य सभी कर सम्मिलित किया जाना चाहिए |

(ख) GST सहित अन्य करों को भारत सरकार / उ.प्र. सरकार/ अन्य कोई , को फर्म/एजेंसी द्वारा ही भुगतान किया जायेगा |

6. बोली लगाने वाला कोटेशन के साथ धरोहर राशि के रूप में **रु 20000/- (बीस हज़ार रूपये मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट , **विद्यालय विकास निधि , केंद्रीय विद्यालय क्र०1 , अर्मापुर कानपुर** के पक्ष में कानपुर में देय हो , जमा करना होगा | असफल बोली लगाने वालों की धरोहर राशि , निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जाएगी | सफल बोली लगाने वाले की धरोहर राशि , निविदा कार्य पूर्ण होने तक विद्यालय में संरक्षित रहेगी |
7. टेलेक्स या फेसिमाइल कोटेशन मान्य नहीं हैं |
8. प्रत्येक कोटेशन दाता एक कोटेशन ही प्रस्तुत करेगा |
9. नियम और शर्तें –

   (क) फर्म/एजेंसी के पास नीति आयोग अथवा केंद्र /राज्य सरकार के अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में ATL (Atal Tinkering Laboratory) की स्थापना (आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित) हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है | (प्रतिलिपि संलग्न करें)

   (ख) फर्म/एजेंसी द्वारा नीति आयोग अथवा केंद्र /राज्य सरकार के अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से ATL (Atal Tinkering Laboratory) की स्थापना (आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित) हेतु जारी दिशा निर्देशों तथा नियमों व शर्तों का अनुपालन अक्षरश: किया जाएगा |

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्रं०-1
Kendriya Vidyalaya No.-1
अर्मापुर, कानपुर
Armapur, Kanpur

(ग) करार करने वाली एजेंसी से कार्यालय के साथ तैयार सन्दर्भ के लिए संलग्न आदर्श अनुबंध के अनुसार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है | बिड दस्तावेज़ में वर्णित अन्य नियम व शर्तें और स्वीकृत बिड आदर्श करार के हिस्से के रूप में होंगी |

(घ) यदि विद्यालय में कोई नुकसान , चोरी , तोड़फोड़ , निविदा दाता के कार्मिकों द्वारा होती है / की जाती है , तो विद्यालय के पास करार एजेंसी से नुकसान की वसूली का दावा करने का अधिकार सुरक्षित है |

(ङ) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करे कि तैनात किये गए कर्मियों (व्यक्तियों) का विद्यालय में कार्य व्यवहार सर्वथा शिष्ट एवं मर्यादित हो | बीड़ी – सिगरेट , तम्बाकू –मसाला, पान, शराबआदि का सेवन कर्मियों के लिए पूर्णतया वर्जित है | ऐसा पाए जाने पर सम्बंधित कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटाया जायेगा |

(च) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करे कि तैनात किये गए कर्मियों (व्यक्तियों) का विद्यालय में कार्य व्यवहार सर्वथा शिष्ट एवं मर्यादित हो | छात्र छात्राओं , विद्यालय के कर्मचारियों एवं आगुन्तकों से बात चीत करते समय एवं अन्य किसी प्रकार का व्यवहार करते समय के . वि. स. द्वारा निर्धारित एवं अपेक्षित मानको का पालन किया जाना चाहिए | इस सन्दर्भ में एजेंसी अपने कार्मिकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वयं करेगी , और इसकी सूचना विद्यालय को देगी |

(छ) करार करने वाली एजेंसी सुनिश्चित करेगी की तैनात किये गए कर्मी किसी प्रकार की अवांछनीय, गैर कानूनी एवं असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी |

(ज) कर्मी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में एजेंसी द्वारा ही उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी | यदि एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मी द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक , शारीरिक क्षति पहुचायी जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व भी एजेंसी का होगा |

(झ) एजेंसी अपने स्टाफ का आकस्मिक निरीक्षण करेगी |

(ञ) ATL के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए | इसके साथ ही आपूर्तित सामग्री बच्चों एवं वयस्कों के स्वस्थ्य , सुरक्षा एवं संरक्षा के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए | फर्म द्वारा अपूर्तित यदि किसी सामग्री से या उसकी अवस्थापना में गुणवत्ता की कमी के कारण किसी भी बच्चे या व्यस्क को किसी भी प्रकार का शारीरिक , मानसिक क्षति पहुंचती है तो इसके लिए सम्बंधित फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी |

10. कोटेशन दाता का मूल्यांकन :

(i) यदि निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाते है तो कोटेशन गैर उत्तरदायी मानी जायेगी :-

(क) कम्पनी संक्षिप्त प्रोफाइल और कोटेशन दाता इसी तरह के करार को सफलता पूर्वक संपादित करने करने के साक्ष्य के रूप में पिछले अनुबंधों का विवरण प्रस्तुत करें |(स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)

(ख) लेखा परीक्षित बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि का लेखा |(स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)

(ग) वर्तमान आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र |(स्व प्रमाणित प्रतिलिपि)

(घ) पैन कार्ड / टैन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि |

(ङ) जी. एस. टी. पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि |

(च) नीति आयोग अथवा केंद्र /राज्य सरकार के अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि |

(ii) (क) सभी मदों (पैकेज 1 से 4) का एक साथ मूल्यांकन होगा | न्यूनतम मूल्यांकित कोटेशन दाता (जो गुणवत्ता के अपेक्षित मापदंडों को पूर्ण कर रहा है) को करार दिया जायेगा |

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय कं०-9
Kendriya Vidyalaya No.-
अर्मापुर, कानपुर
Armapur, Kanpur